<u>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</u>

<u>अपील संख्या – 378 / 2016 / जयपुर</u>

मैसर्स कोमल बिल्डकोन प्रा. लि. 16 गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म, खातीपुरा रोड, जयपुर जरिये पी.डी.जावरिया एण्ड कम्पनी, एडवोकेट एवं कर सलाहकार, 201, राधिक कॉम्पलेक्स, लोहा मण्डी, एस.सी.रोड, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

<u>श्री राजीव चौधरी–सदस्य</u>

<u>श्री नत्थूराम–सदस्य</u>

उपस्थित : :

श्री मोहनलाल सहारण
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के. अजमेरा
अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : **08.01.2018**

<u>निर्णय</u>

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 70 / अपील्स–I / आरवीएटी / आई / जयपुर / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के अन्तर्गत विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र दिनांक 02.05.2008 एवं 29.10.2009 में निर्धारित विमुक्ति शुल्क की दरों को बढाये जाने के संबंध में पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 के विरूद्व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अपीलीय निर्णय द्वारा कर निर्धारण अधिकारी का निर्णय यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है।

2. उक्त प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बाउण्ड्रीवाल कन्स्ट्रक्शन के संविदा कार्य हेतु अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 के तहत् 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। दिनांक 02.05.2008 एवं 29.10.2009 को विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र संख्या 28 / 428 एवं 4867 / 23, 1.5 प्रतिशत की दर से

लगातार................2

जारी किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा निष्पादित कार्य को अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की अनुसूची के बिन्दु संख्या 2 "Work contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerage system" से भिन्न मानते हुए बाउण्ड्री वॉल के निर्माण कार्यको relating to bulidings से भिन्न मानते हुए अनुसूची के बिन्दु संख्या 4 के तहत 3 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क निर्धारित करते हुए आदेश दिनांक 30.01.2015 से विमुक्ति शुल्क पुनः निर्धारित किया गया। उक्त कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 30.01.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बंहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी संकर्म संविदा कार्य करता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी का संकर्म संविदा कार्य उक्त संविदा कार्य Work relating to building की श्रेणी में आने के कारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की सूची के आईटम संख्या 2 के अन्तर्गत आने से इसके लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ही ई.सी. फीस देय है। उक्त इस संविदा कार्यों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 की प्रविष्ठि संख्या 4 में होना अवधारित कर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस निर्धारित की गयी है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का यथावत रखा है, जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 तथा डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07.2017 प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों में construction of boundary wall को Work relating to building माना और अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 के श्रेणी की मानकर 1.5 प्रतिशत से मुक्ति शुल्क देय होना निर्धारित किया गया है। अतः वर्तमान प्रकरण उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों से आच्छादित है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कर द्वारा संविदा कार्य राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या 2 से आच्छादित न होकर आईटम संख्या 4 से आच्छादित होता है।

08/01/17

लगातार................3

इसी आधार पर इस संविदा कार्य के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से मुक्ति शुल्क 3 प्रतिशत निर्धारित करते हुये नियमानुसार कर मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि सूची के आईटम संख्या 2 में अंकित संविदा कार्यो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इनमें सभी उन संविदा–कार्यो को शामिल किया गया है जो relating to building से जिसमें road, bridges, dams, canals, sewerage system इत्यादी कार्य संबंधित है। अपीलार्थी के प्रश्नगत संविदा कार्य आईटम संख्या 2 की श्रेणी में न आकर अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आईटम संख्या–4 की श्रेणी में आने से इस पर 3 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति शुल्क देय होता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 के आइटम संख्या 4 को श्रेणी में मानकर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क निर्धारित किया गया, जो विधि संगत है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखा है, जो विधिसम्मत है। राजस्व के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 द्वारा संविदा संकर्म की प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण कर देय EC फीस निर्धारित की गयी है। उक्त अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006, का यहा उल्लेख किया जाना उचित होगा, जो निम्न प्रकार है–

List

Item No	Description of Work Contract	Rate of Exemption Fee % of the total value of the contract
1	2	3
1	a[xxx]	0.25%
2	Work contracts relating to building, roads, bridges, dams canals, sewerage system	1.50%
3	Works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1[xxx] 2 and 3	3.00%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1,2006

08/01/17

8. उपरोक्त अधिसूचना के बिन्दु सं. 2 में Work contracts relating to building, roads, bridges, dams canals, sewerage system से संबंधित कार्यो पर 1.5 प्रतिशत ई.सी.फीस देय मानी है। बिन्दु सं. 2 में Work contracts relating to building.... वाक्य का प्रयोग किया गया है अर्थात बिल्डिंग से संबंधित कार्यो को इस श्रेणी में लिया गया है। बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रत्यक्ष तौर पर बिल्डिंग कार्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2015 एस.बी.सेल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन सं. 6/2007 सीटीओ बनाम पेनार इण्ड. लि. में यह अवधारित किया है कि "Relating to" शब्द को वृहद दृष्टिकोण के रूप में लिया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से बाउण्ड्रीवॉल, बिल्डिंग से संबंधित कार्य माना जाना चाहिए। इस धारणा की पुष्टि माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांतों से भी होती है जैसा कि आगे के बिन्दु सं. 9 में इस संबंध में विवेचना की गई है।

9. राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 574/ 2012/कोटा निर्णय दिनांक 09.09.2016 उनवान मैसर्स शंकर कंस्ट्रक्शन कम्पनी बनाम सीटीओ में संविदा कार्य Modification and Construction of Main Plant Boundry Wall between RAPP 5,6,7 & 8 तथा राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत डीबी अपील संख्या 1535/2011/उदयपुर निर्णय दिनांक 27.07. 2017 उनवान सीटीओ बनाम मैसर्स बावेल बद्रर्स में संविदा कार्य Construction of 33KVS/S building with boundry wall at Lotiyana Distt. Chittorgarh एवं Construction of RCC foundation at 132KVS/S Capasan के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उक्त संविदा कार्य पर अधिसूचना दिनांक 11.08. 2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है। विचाराधीन प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टांतों से आच्छादित है। इस प्रकार उक्त दोनों न्यायिक दृष्टातों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में वर्तमान प्रकरण में आवर्ड किये गये कार्य संविदा का प्रकृति अधिसूचना दिनांक 11.08.2006 की प्रविष्टि संख्या 2 में Work contracts relating to building की श्रेणी में आने से 1.5 प्रतिशत से कर मुक्ति शुल्क देय है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त कर अपील स्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य

08/01/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य